AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482
Regd. Off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, Ajmer
E-mail-revenue.discom21@gmail.com, Website-http://energy.rajasthan.gov.in/avvnl

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

No. AVVNL / CAO / ER&IA/ Sr.AO(Rev)/ F. /D. 153 Dated 08-04-2022

REV-AJ- 161

आदेश

उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.03.2022 अनुलग्नक– अ के अनुसरण में सभी अनुदानित घरेलू विद्युत उपभोक्ता श्रेणियों यथा बी.पी.एल. आस्था कार्ड धारक, लघु घरेलू एवं सामान्य घरेलू श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं की टैरिफ दरों में अतिरिक्त टैरिफ अनुदान वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आलोच्य आदेश में उल्लेखानुसार प्रदान किया जायेगा।

1. उक्त टैरिफ अनुदान बिलिंग माह अप्रैल, 2022 से दिया जायेगा।
2. बिलिंग एजेन्सी द्वारा उक्त टैरिफ अनुदान को संबंधित बिलिंग माह की MIS 3.2 के J.V. (Journal Voucher) 3 में समायोजन के माध्यम से वसूली (Realization by Adjustment) के जरिये अग्रानुसार दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3.

Transaction code	Particulars of adjustment	Head of Accounts
51	Tariff Subsidy-BPL	28.634
	Tariff Subsidy-Small Domoestic	28.635
	Tariff Subsidy-General Domestic	28.630

4. किसी माह विशेष में घरेलू उपभोक्ता की बिलिंग लॉक प्राविजनल (Lock / provisional) आधार पर होने के बाद आगामी माह में वास्तविक बिल जारी होने पर, प्रोविजनल बिल में दी गई अनुदान राशि समायोजित करने के पश्चात ही अनुदान राशि देय होगी। इसका एक सरल उदाहरण अनुलग्नक–ब पर संलग्न है।
5. घरेलू प्री–पेड कनेक्शनो की बिलिंग में उपरोक्तानुसार टैरिफ सब्सिडी का समायोजन किया जायेगा तथा प्रत्येक बिलिंग माह में उपभोक्ता को वास्तविक देय अनुदान राशि के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक समायोजन किया जायेगा।
6. नेट मीटरिंग वाले घरेलू उपभोक्ताओं की प्रतिमाह बिलिंग नेट इम्पोर्ट आधार पर प्रथम 150 यूनिट प्रतिमाह पर 3 रूपये एवं आगामी 150 यूनिट पर 2 रूपये प्रति यूनिट अनुदान राशि समायोजित करते हुए की जाएगी।
7. बिलिंग एजेंसी द्वारा संलग्न प्रारूप अनुलग्नक–स में उपरोक्त सभी अनुदानित उपभोक्ताओं की सूचना ओ.सी.एम. पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
8. उक्त टैरिफ अनुदान घरेलू श्रेणी के समस्त उपभोक्ताओं को संलग्न आदेश अनुसार (अनुलग्नक– अ) प्रदान किया जायेगा।

<u>संलग्न:–उपरोक्तानुसार।</u>

मुख्य लेखाधिकारी (र.आ.अ.)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य अभियंता अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (......), अविविनिलि, ...।
2. मुख्य लेखाधिकारी (   ) अविविनिलि, अजमेर।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अजमेर /उदयपुर /झुंझुनु संभाग) , अविविनिलि................।
4. अधीक्षण अभियंता/लेखाधिकारी (अ.श.वृ/अ.जि.वृ/प.व.स.), अ.वि.वि.नि.लि. ,.......................
5. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी (   ) , अविविनिलि................।
7. मैसर्स TPADL वैशाली नगर, अजमेर।
8. मैसर्स Secure meters भीलवाडा /बांसवाडा।

मुख्य लेखाधिकारी (स.प्र.आ.अ.)

अनुलग्नक 'अ'

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक: प. 7(2)ऊर्जा / 2020

जयपुर दिनांक: 30 MAR 2022

अध्यक्ष ,डिस्कॉम्स
विद्युत भवन,
जयपुर।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022–23 के बिन्दु सं. 6(IV) पर की गई बजट घोषणा अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत दरों में टैरिफ अनुदान उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र कमांक जेपीडी / व.ले(रा.एवं वि) / राजस्व / पत्रा. 393 / प्रे. 1105 दिनांक 03.03.2022 एवं निदेशक (वित्त), जयपुर डिस्कॉम के पत्र कमांक 1156 दिनांक 21.03.2022 के कम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022–23 के बजट भाषण में की गई घोषणा (बिन्दु सं.6(IV)) की कियान्विति हेतु आपके प्रस्तावानुसार विद्युत बिल माह अप्रेल–2022 से 100 यूनिट तक का विद्युत उपभोग करने वाले बी.पी.एल. / आस्था कार्डधारी / लघु घरेलू / सामान्य घरेलू उपभोक्ताओ को 50 यूनिट तक पूर्णतः बिजली मुफ्त (स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क एवं ईधन अधिभार) उपलब्ध करवाये जाने एवं अन्य घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत प्रभार (Electricity charges) में छूट दिये जाने हेतु अनुदानित विद्युत उपभोक्ताओं की श्रेणियों यथा बी.पी.एल. / आस्था कार्डधारी / लघु घरेलू / सामान्य घरेलू उपभोक्ताओ की टैरिफ दरों में विद्युत वितरण निगमों को टैरिफ सब्सिडी उपलब्ध करवाये जाने की सहमति वित्त विभाग की आई. डी. सं. 102201425 दिनांक 16.03.2022 (प्रति संलग्न) एवं आई. डी. सं. 102201713 दिनांक 29.03.2022 (प्रति संलग्न) के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(राजकुमार निर्वाण)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज. सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–4), विभाग।

शासन उप सचिव

F:\Anamika\Hindi Letter

अनुलग्नक 'ब'

किसी माह / माहों विशेष मे लॉक / प्रोविजनल आधार पर बिलिग करने के उपरान्त आगामी माह में वास्तविक उपभोग पठन आधार पर बिल जारी करते वक्त, देय अनुदान राशि का समायोजन

उदाहरण के तौर पर किसी उपभोक्ता को मासिक बिलिंग आधार पर किसी माह विशेष में 50 यूनिट का बिल लॉक / प्रोविजनल आधार पर निम्नानुसार जारी किया जायेगा :

Particulars	Calculation	Bill Amount
Energy Charges (I)	50 * 4.75	237.50
Fix Charges (II)	230	230.00
ED (III)	50 * 0.40	20.00
UC (IV)	Exemption	0.00
Gross Bill Amount (A=I+II+III+IV)		**487.50**
Tariff Subsidy		
Energy Charges (V)		237.50
Fix Charges (VI)		230.00
ED (VII)		20.00
UC (VIII)		0.00
Total Tariff Subsidy (B= V+VI+VII+VIII)		487.50
Net Bill Amount (A-B)		0.00

उक्त उपभोक्ता का आगामी माह में वास्तविक रीडिंग के आधार पर काल्पनिक उपभोग बिल जारी होने पर अग्रानुसार समायोजन किया जायेगा।

Particulars	Calculation	Bill Amount	Calculation	Bill Amount	Calculation	Bill Amount
Bill Period		2 Months		2 Months		2 Months
Unit Consumption		20		200		300
Energy Charges (I)	20*4.75	95.00	(100 * 4.75) +(100*6.50)	1125.00	(100*4.75)+ (200*6.50)	1775.00
Fix Charges (II)	230*2	460.00	230*2	460.00	230*2	460.00
ED (III)	20*0.40	8.00	200*0.40	80.00	300*0.40	120.00
UC (IV)				0 .00	300*0.15	45.00
Gross Bill Amount (A)		563.00		1665.00		2400.00
Lock Bill Adjustment (B)		487.50		487.50		487.50
Net Amount (C=A-B)		75.50		1177.50		1912.50
Total Tariff subsidy (V)	563.00		775.00		900.00	
Already tariff subsidy given in lock / provisional billed (VI)	487.50		487.50		487.50	
Net subsidy to be given in the bill (D) (V-VI)		**75.50**		**287.50**		**412.50**
Net Bill Amount payable by consumer (E=C-D)		**0.00**		**890.00**		**1500.00**

अनुलग्नक - 'स'

Office Name	NO. OF CONSUMER					
	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL
SE Banswara						
SE Chittorgarh						
SE Dungarpur						
SE Pratapgarh						
SE Rajsamand						
SE Udaipur						
SE Jhunjhunu						
SE Sikar						
SE Ajmer						
SE Ajmer Distt						
SE Bhilwara						
SE Nagaur						
DISCOMS						

Office Name	Total DOMESTIC Consumers Billed in April-2022																	
	NO. OF CONSUMER						ASSESSMENT						SUBSIDY GIVEN					
	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL
SE Banswara																		
SE Chittorgarh																		
SE Dungarpur																		
SE Pratapgarh																		
SE Rajsamand																		
SE Udaipur																		
SE Jhunjhunu																		
SE Sikar																		
SE Ajmer																		
SE Ajmer Distt																		
SE Bhilwara																		
SE Nagaur																		
DISCOMS																		

Office Name	Bill Issued Under Zero Amount											
	NO. OF CONSUMER						SUBSIDY GIVEN					
	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL
SE Banswara												
SE Chittorgarh												
SE Dungarpur												
SE Pratapgarh												
SE Rajsamand												
SE Udaipur												
SE Jhunjhunu												
SE Sikar												
SE Ajmer												
SE Ajmer Distt												
SE Bhilwara												
SE Nagaur												
DISCOMS												

Office Name	OTHERS											
	NO. OF CONSUMER						SUBSIDY GIVEN					
	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL	DOMESTIC BPL	DOMESTIC BPL TSP	SMALL DOMESTIC	DL UPTO 50 UNIT	OTHER	TOTAL
SE Banswara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SE Chittorgarh												
SE Dungarpur												
SE Pratapgarh												
SE Rajsamand												
SE Udaipur												
SE Jhunjhunu												
SE Sikar												
SE Ajmer												
SE Ajmer Distt												
SE Bhilwara												
SE Nagaur												
DISCOMS												